



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 173-2020/Ext.]

चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 18 नवम्बर, 2020 (27 कार्तिक, 1942 शक)

### विधायी परिशिष्ट

| क्रमांक        | विषय वस्तु                                                                                                     | पृष्ठ |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>भाग I</b>   | <b>अधिनियम</b>                                                                                                 |       |
|                | 1. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2020<br>(2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 24) | 189   |
|                | 2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 26)<br>(केवल हिन्दी में)     | 191   |
| <b>भाग II</b>  | <b>अध्यादेश</b>                                                                                                |       |
|                | कुछ नहीं।                                                                                                      |       |
| <b>भाग III</b> | <b>प्रत्यायोजित विधान</b>                                                                                      |       |
|                | कुछ नहीं।                                                                                                      |       |
| <b>भाग IV</b>  | <b>शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन</b>                                                              |       |
|                | कुछ नहीं।                                                                                                      |       |

**भाग-I****हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 18 नवम्बर, 2020

**संख्या लैज. 34/2020.**— दि हरियाणा फिसकल रिस्पोन्सिबिलिटी ऐन्ड बजट मैनेजमेंट (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, 2020, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

**2020 का हरियाणा अधिनियम संख्या 24**

**हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2020**  
**हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005,**  
**को आगे संशोधित करने के लिए**  
**अधिनियम**

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. यह अधिनियम हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2020, संक्षिप्त नाम। कहा जा सकता है।
2. हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005, की धारा 9 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-  
 "(ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. के 3 प्रतिशत के अतिरिक्त 2 प्रतिशत और (जी.एस.डी.पी. का पाँच प्रतिशत तक) अनुज्ञेय होगा।" 2005 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 9 का संशोधन।

बिमलेश तंवर,  
 सचिव, हरियाणा सरकार,  
 विधि तथा विधायी विभाग।